दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0,राजपुर–पूरनपुर–नादेही जिला–ऊधम सिंह नगर
वर्ष 2022–23 में बैगास की बिक्री की तकनीकी निविदा

निविदा (बिड) जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	26.12.2022 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा (बिड) जमा करने की अन्तिम तिथि	10.01.2023 सॉय 5.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि	11.01.2023 प्रातः 11.00 बजे

1. निविदादाता/फर्म का नाम ....
2. निविदादाता का पता..
....
3. दूरभाष../मोबाईल नॅ0..
4. ई–मेल..
5. जी0एस0टी0 नम्बर ....
6. पैन नम्बर ....
7. निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि का विवरण

Scan & Pay with Cards & UPI

वाछिंत धरोहर धनराशि :- ₹ 10000.00 (₹ दस हजार)

निविदा प्रपत्र मूल्य :- ₹ 590.00 (जी.एस.टी. सहित)

UPI ID..दिनांक ....

Powered by SmartHub Vyapar

RTGS / NEFT UTR No..दिनांक ....

बैंक का नाम ....धनराशि ....

मिल का बैक विवरण जिस खाते में निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि जमा कराई जानी है।

THE KISAN SAHKARI CHINI MILLS LTD,NADEHI. BANK OF BARODA, BRANCH - NADEHI
CURRENT ACCOUNT :- 08970200000176 IFSC CODE :- BARB0NADEHI

यदि धरोहर धनराशि चीनी मिल के खाते में पूर्व में जमा है तो चीनी मिल लेखा विभाग से जारी समायोजन आख्या पत्र को संलग्न करें।
यदि कोई आपूर्तिकर्ता एन0एस0आई0सी0 में पंजीकृत होगा, तो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ई0एम0डी0 की छूट प्रदान की जायेगी, जिसे ई–निविदा के तकनीकी निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत (Upload) किये जाने वाले संलग्नकों की संख्या:–
(कृपया अनावश्यक दस्तावेज कदापि संलग्न ना करें।)

		संलग्न पृष्ठों की संख्या
1	निविदा मूल्य/धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण/साक्ष्य	02
2	जी०एस०टी० की स्वहस्ताक्षरित प्रति	01
3	पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति।	01
4	निविदादाता को किसी संस्था द्वारा काली सूची (Black Listed) नहीं किया गया है, इस हेतु स्वघोषणा पत्र।	01

संलग्नक :– नियम एवं शर्तें

मेरे द्वारा नियमों एवं शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के उपरान्त निविदा दी गयी है एवं सभी नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार है।

निविदादाता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, राजपुर–पूरनपुर–नादेही (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड

बैगास की बिक्री की तकनीकी निविदा की नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त दी गयी बैगास की दरें चीनी मिल के बैगास प्लाट/यार्ड से उठान पर होगी।
2. सफल निविदादाता को ₹ 90,000.00 जमानत राशि के रूप में आदेश प्राप्ति के 04 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करने होगें। धरोहर राशि ₹ 10,000.00 को भी जमानत में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस प्रकार कुल जमानत ₹ 1,00,000.00 होगी, जिसे कार्य सन्तोषजनक होने पर मूल रूप में बिना किसी ब्याज के वापस किया जायेगा।
3. बैगास की लदाई एवं ढुलान की व्यवस्था खरीददार द्वारा अपने खर्च पर स्वयँ की जायेगी।
4. कर आदि :– बैगास के विक्रय पर लगने वाले समस्त कर जी०एस०टी० टी०सी०एस० आदि उपरोक्त दरों के अतिरिक्त बैगास खरीददार द्वारा देय होगा।
5. बैगास खरीददार द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल से सरप्लस (अतिरिक्त) बैगास का नियमित उठान मिल प्रबन्धन के निर्देशानुसार किया जायेगा निर्देशानुसार नियमित उठान न किये जाने के कारण यदि मिल में बैगास का जाम लग जाता है और मिल की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इस प्रकार मिल को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित खरीददार से की जायेगी।
6. धरोहर धनराशि :– खरीददार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने पर जमानत राशि में परिवर्तित की जायेगी और विक्रय की गयी बैगास के सन्तोषजनक उठान के पश्चात लौटाई जायेगी खरीददार यदि बैगास नहीं उठाता है और बैगास न उठने के कारण मिल को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो खरीददार की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. बैगास की मात्रा :– मिल में उपलब्ध केवल अतिरिक्त (सरप्लस) बैगास का ही विक्रय/उठान किया जायेगा। चीनी मिल यदि बैगास नहीं बचाती है तो इस सम्बन्ध में खरीददार का कोई दावा (क्लेम) स्वीकार नहीं होगा और चीनी मिल बैगास देने के लिए बाध्य नहीं होगी। विक्रय योग्य सरप्लस बैगास की मात्रा का आंकलन मिल के मुख्य अभियन्ता/प्रधान प्रबन्धक के अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा, जो केता को मान्य होगा ।
8. उपरोक्त दी गई दरें फरवरी, 2023 तक मान्य रहेगीं।
9. बैगास का भुगतान :– बैगास का भुगतान अग्रिम जमा करने के पश्चात ही बैगास का उठान कराया जायेगा।
10. खरीददार द्वारा बैगास लदाई एवं ढुलाई मे लगाये गये किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व खरीददार का होगा।
11. किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं का निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, बैगास विकय समिति के पास सुरक्षित होगा।
12. बैगास की निकासी प्रातः 8:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जायेगी, विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त समय मे भी प्रधान प्रबन्धक की अनुमति से निकासी दी जा सकती है।
13. खरीददार को अपने श्रमिकों के नाम व पते चीनी मिल के सुरक्षा/समय कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होगें। नाबालिग श्रमिकों का प्रवेश मिल में पूर्णतः वर्जित है। सभी श्रम कानूनों का पालन क्रेता को करना होगा।
14. खरीददार का जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा अनुमोदित दरों पर पर्याप्त बैगास नहीं उठाई जाती है तो मिल समिति किसी अन्य क्रेता को बैगास विक्रय करने को स्वतन्त्र होगी और उससे हुई हानि के लिए क्रेता जिम्मेदार होगा।
16. अपरिहार्य परिस्थिति में मिल समिति अन्य किसी क्रेता को भी अनुमोदित दर पर बैगास विक्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगी ।
17. न्यायिक क्षेत्र जिला न्यायालय, ऊधम सिंह नगर का है।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासक/जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

विक्रय प्रभारी	लेखाकार	मु0म0 अधिकारी	मुख्य अभियन्ता	मुख्य रसायनविद	प्रधान प्रबन्धक